भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5019

23 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

चीनी मिलों को वित्तीय सहायता

5019. श्री दीपक बैज:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गन्ने की लागत की भरपाई के लिए सीजन 2017-18 के दौरान चीनी मिलों को 5.50 रुपये प्रति क्विंटल रुपये चीनी और चीनी सीजन 2018-19 के दौरान 13.88 रुपये प्रति क्विंटल की वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस शीर्ष के तहत चीनी मिलों को दी गई कुल निधियों का ब्यौरा क्या है और समय पर भुगतान पाने वाले गन्ना किसानों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि गन्ना किसानों के भुगतान के लिए सरकार द्वारा दिए गए धन को चीनी मिलें अन्य शीर्ष में खर्च कर रही हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): चीनी मौसम 2017-18 के लिए गन्ने की लागत की भरपाई करने और किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का यथासमय भुगतान सुगम बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 09 मई, 2018 को एक स्कीम अधिसूचित है, जिसमें चीनी मिलों को पेराई किए गए गन्ने के लिए 5.50 रूपए प्रति क्विंटल की दर से सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। दिनांक 05 अक्तूबर, 2018 को अधिसूचित इसी प्रकार की एक स्कीम के तहत, चीनी मौसम 2018-19 के लिए, चीनी मिलों को पेराई किए गए गन्ने के लिए 13.88 रूपए प्रति क्विंटल की दर से सहायता प्रदान की जाएगी।

(ख) से (घ) : दिनांक 09 मई, 2018 को अधिसूचित स्कीम के तहत, केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को अब तक 392.76 करोड़ रूपए की सहायता प्रदान की है। दिनांक 05 अक्तूबर, 2018 को अधिसूचित स्कीम के तहत, अब तक कोई निधियाँ जारी नहीं की गई हैं। दोनों स्कीमों के प्रावधानों के अनुसार, बैंक सहायता की राशि को मिलों की ओर से किसानों को देय गन्ना बकाया के प्रति किसानों के बैंक खाते में जमा कराएंगे और तत्पश्चात शेष राशि, यदि कोई हो, मिलों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। सरकार द्वारा इस स्कीम के तहत लाभान्वित किसानों की संख्या का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

****